राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर–302005
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई मेल : aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः–एफ.4(ई)(1)(6)/एसीपी/अलेसे–II/2023–24/972 दिनांक :– 30.10.2023

आदेश

श्री प्रमोद कुमार, (576/94), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II को विभागीय आदेश क्रमांक एफ.4(ई)(प्रथम एसीपी/94)/अलेसे–III/8405–8408 दिनांक 12.08.2013 द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर प्रथम नियुक्ति तिथि 11.04.1996 से दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान दिनांक 26.03.2005 को होने के फलस्वरूप इन्हें 09 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि 11.04.2005 के स्थान पर 05 वर्ष पश्चात दिनांक 11.04.2010 से कनिष्ठ लेखाकार के पद की प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति स्वीकृत की गई थी। जिसे वित्त विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांक प. 14(88)वित्त/नियम/2008–I एवं II दिनांक 31.12.2009 के नियम बिन्दु संख्या 8(III) के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् संतान की संख्या 02 से अधिक होने पर एसीपी देय नहीं होने के कारण विभागीय आदेश क्रमांक एफ.4(ई)/1992 प्रथम चवे/अलेसे–III/1890–95 दिनांक 07.05.2014 के द्वारा निरस्त किया गया था।

उपरोक्त विभागीय आदेश दिनांक 07.05.2014 के क्रम में श्री प्रमोद कुमार द्वारा माननीय न्यायालय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर के समक्ष अपील संख्या 555/2014 दायर की गई। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 29.08.2023 के द्वारा श्री प्रमोद कुमार के प्रकरण में विभागीय आदेश दिनांक 07.05.2014 को अपास्त किया गया एवं अपीलार्थी को प्रथम एसीपी का लाभ वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.10.2015 की अनुपालना में एसीपी स्वीकृत करने के निर्देश प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.08.2023 के अनुसरण में श्री प्रमोद कुमार को विभागीय आदेश क्रमांक एफ.4(ई)(प्रथम एसीपी/94) /अलेसे–III/8405–8408 दिनांक 12.08.2013 द्वारा स्वीकृत की गई प्रथम एसीपी को प्रत्याहरित करते हुए, वित्त (नियम) विभाग के आदेश दिनांक 12.09.2008 सपठित आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं मेमोरेण्डम दिनांक 06.10.2015 के अनुसरण में कनिष्ठ लेखाकार पद की प्रथम आश्वासित कैरियर प्रगति पे बैण्ड–2 (9300–34800) ग्रेड पे 4200/– में दिनांक 06.10.2015 से एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

उक्त प्रथम ए.सी.पी. दिनांक 06.10.2015 से स्वीकृत करने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अधिक भुगतान की वसूली नियमानुसार कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर की जानी है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः–एफ.4(ई)(1)(6)/एसीपी/अलेसे–II/2023–24/972 दिनांक :– 30.10.2023
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
2. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)/एपीएआर शाखा।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. श्री प्रमोद कुमार, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक)